फरियादी सहित अधिवक्ता श्री आर०बी० दौंदेरिया। अभियुक्त देवेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा करना बताया। अतः प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री आर०बी० दौंदेरिया एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

💚 फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ–लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा ३७७ के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मध्र संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

> प्रकरण में जब्तश्दा मोटरसाईकिल न्यायालय के आदेश से सुपूर्दगी पर है। आगामी दिनांक निरस्त की गयी। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

AND SILVEN SILVE